न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 80 / 2019

वादीः–
पप्पुराम पुत्र रखाराम
जाति माली निवासी खुड़ेचा,
तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. उगमाराम पुत्र रखाराम
2. पुखाराम पुत्र रखाराम
3. बद्रीराम पुत्र रखाराम
4. मेहराम पुत्र रखाराम
   जातियान माली निवासीगण ग्राम खुड़ेचा, नानण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
5. भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री रामकिशोर सांखला वादी की ओर से
श्री अब्दुल सलीम खान प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 29.03.2022

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खुड़ेचा पटवार क्षैत्र नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 91 क्षैत्रफल 0.6553 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है जो खाता संख्या नया 115 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरे की कृषि भूमि को आगे वादपत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 –78 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे वादी व वादी के पिता का नाम दोलाराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम पप्पुराम पुत्र रखाराम है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार कार्ड, भामाशाह कार्ड मे वादी व वादी के पिता का सही नाम पप्पुराम पुत्र रखाराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे वादी व वादी के पिता का नाम भूलवश सेवन से दोलाराम पुत्र रखाराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 05.09.2019 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्ते सही नाम दोलाराम पुत्र रामरख के स्थान पर पप्पुराम पुत्र रखाराम किये जाने की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :– वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा कि डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम खुड़ेचा पटवार क्षैत्र नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे स्थित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

कृषि भूमि खसरा नं. 91 क्षैत्रफल 0.6553 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादी के पिता का नाम दोलाराम पुत्र रामरख के स्थान पर पप्पुराम पुत्र रामरख घोषित किया जावे।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण की ओर से वकील अब्दुल सलीम खान ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का का वाद स्वीकार कर राजस्व ग्राम खुड़ेचा के खसरा नम्बर 91 मे दौलाराम पुत्र रामरख के स्थान पर पप्पुराम पुत्र रामरख किया जाता है तो कोई आपति नही है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रतिवादी के इकबाली जवाब का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खुड़ेचा के खसरा नम्बर 91 रकबा 0.6553 हैक्टयर में दर्ज नाम दौलाराम पुत्र रामरख के स्थान पर पप्पुराम पुत्र रामरख दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें ।

(दूदाराम)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)